-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.04.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **पुलिस अधिकारी बनकर विभिन्न मुकदमों में वादी तथा प्रतिवादी से काम कराने का झांसा देकर पैसे की वसूली करने वाले गिरोह का थाना बिसंडा व साइबर थाना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा किया गया पर्दाफाश। गिरोह के एक सदस्य को किया गया गिरफ्तार, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के किए जा रहें हैं प्रयास।**
- **अभियुक्तों द्वारा UPCOP App से विभिन्न मुकदमों की FIR डॉउनलोड कर वादी को कार्यवाही का भरोसा देकर तथा प्रतिवादी को मुकदमा समाप्त करने का झांसा देकर की जाती थी पैसों की वसूली। म0प्र0 के टीकमगढ़ के ग्राम महेवा से चलाते थे फर्जीवाड़े का गिरोह।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा साइबर अपराधों की रोकथाम लगाये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना बिसंडा व साइबर थाना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पुलिस अधिकारी बनकर फर्जी तरीके से पैसे की वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना बिसंडा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम दफ्तरा के रहने वाले मनीष पटेल ने दिनांक 01.04.2024 को पुलिस अधीक्षक बांदा के समक्ष प्रार्थना दिया कि दिनांक 31.03.2024 की शाम को एक पुलिस अधिकारी द्वारा मो0नं0 9630390379 द्वारा उनके फोन पर कॉल करके कहा गया कि वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय बांदा से बोल रहे है। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे विरुद्ध मुकदमा लिखवाया है यदि मुकदमा समाप्त कराना चाहते हो इसी नम्बर पर 50 हजार रुपये पे-टीएम से भेज दो यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हे जेल जाना पड़ेगा। प्रकरण का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा साइबर थाना व थाना बिसंडा की संयुक्त पुलिस टीम को मामले के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस की मदद् से शिकायतकर्ता के पास आये कॉल के मोबाइल नम्बर की लोकेशन के आधार पर अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा थाना सेंदरी जनपद निवाड़ी (म0प्र0) पुलिस की सहायता से ग्राम तरीचर खुर्द से पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त मानवेन्द्र उर्फ मोनू यादव पुत्र प्रभु दयाल यादव निवासी महेवा चक-2 थाना लेधौरा जनपद टीकमगढ़ द्वारा बताया गया कि उसके गांव महेवा के अधिकांश लड़के जालसाजी का काम करते हैं। वे उत्तर प्रदेश पुलिस के UPCOP Application के माध्यम से उ0प्र0 के किसी भी जनपद के किसी भी थाने में पंजीकृत एफआईआर की कॉफी निकालकर उसका पूरा मामला समझते हैं जिसके उपरांत पुलिस अधिकारी बनकर दूसरे के नाम पर जारी फर्जी नाम पता के सिमकार्ड से मुकदमें के वादी से वार्ता कर उन्हे कार्यवाही का विश्वास दिलाकर पैसे की वसूली करते हैं। साथ ही मुकदमें के वादी से प्रतिवादी का नम्बर लेकर प्रतिवादी से बात कर उसे मुकदमा समाप्त कराने का भरोसा दिलाकर पैसे की वसूली करते हैं पैसे न देने पर जेल भेजने के लिए डराते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसको यह काम उसके गांव के ही राहुल यादव ने सिखाया था तथा वहीं सिमकार्ड व मोबाइल उपलब्ध कराता था साथ ही किस खाते में पैसा लेना है वही बताता है। जो भी पैसा फर्जीवाड़े से मिलता है उसका 30% राहुल लेता था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 31.03.2024 को उसने थाना बिसंडा के ग्राम दफ्तरा के रहने वाले मनीष पटेल को भी फोन किया था। अभियुक्त के कब्जे से फर्जीवाड़े में प्रयुक्त 01 एंड्रायड फोन व 01 फर्जी सिमकार्ड बरामद हुआ है। प्रकरण में अग्रिम कार्वाही की जा रही तथा इस नेटवर्क से जुडें अन्य लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

बरामदगी-

- फ्राड की घटनाओं में प्रयुक्त 01 अदद एंड्रायड मोबाइल फोन
- 01 अदद सिमकार्ड एयरटेल

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मानवेन्द्र उर्फ मोनू यादव पुत्र प्रभु दयाल यादव निवासी महेवा चक-2 थाना लेधौरा जनपद टीकमगढ़ (म0प्र0)।

वांछित अभियुक्त-

1. राहुल यादव पुत्र कुवारे लाल निवासी महेवा चक-2 थाना लेधौरा जनपद टीकमगढ़ (म0प्र0)।
2. अन्य अज्ञात

पंजीकृत अभियोग -

- मु0अ0सं0 136/24 धारा 419/420/384/409 भा0द0वि0 थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि श्री अकरम सिद्दिकी थाना बिसंडा
2. हे0कां0 जाफरूल इस्लाम साइबर थाना
3. कां0 अनिल कुमार आर्य साइबर थाना
4. कां0 हिमांशू वर्मा साइबर थाना
5. कां0 आशुतोष यादव थाना बिसंडा
6. कां0 उत्कर्ष शुक्ला थाना बिसंडा